न्यायालय :—श्रीमती रीतु वर्मा कटारिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नर्मदापुरम, मध्यप्रदेश

कमांक / 169 / न्यायालय / 2024 नर्मदापुरम, दिनांक—06.04.2024

प्रति,

माननीय प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय,

जिला नर्मदापुरम मध्यप्रदेश

विषयः— आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक वर्ष 2024 अनुमोदन हेतु प्रेषित बाबत्।

————0000————

माननीय महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत सादर निवेदन है कि मेरे द्वारा आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक वर्ष 2024 तैयार किया जाकर, आपकी ओर अनुमोदनार्थ हेतु सादर प्रेषित है।

06/04/2024

दिनांकः— 06.04.2024

(श्रीमती रीतु वर्मा कटारिया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नर्मदापुरम् म0प्र0

आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक वर्ष 2024

क्रमांक /मु.न्या.मजि./2024 नर्मदापुरम, दिनांक :– 12.../04/2024

मैं **श्रीमती रीतु वर्मा कटारिया**, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नर्मदापुरम, नर्मदापुरम सिविल जिले में पदस्थ समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेटों, के मध्य उचित रूप से कार्य, वितरण एवं संपादन हेतु पूर्व आपराधिक कार्यविभाजन आदेश (समस्त मूल एवं संशोधित सहित) को अतिष्ठित करते हुये द.प्र.सं. की धारा– **14 (1) एवं 15 (2)** के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये माननीय प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय नर्मदापुरम के अनुमोदन उपरांत, नर्मदापुरम जिले व तहसील न्यायालयों में पदस्थ समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेटों के मध्य आपराधिक प्रकरणों एवं उनसे संबंधित आनुषांगिक कार्य के निष्पादन के संबंध में स्थानीय सीमाएँ परिनिश्चित करते हुये निम्नानुसार कार्यविभाजन करती हूँ, जो कि दिनांक **......04.2024** से आगामी आदेश पर्यन्त प्रभावशील रहेगा।

क.	**न्यायिक मजिस्ट्रेट**	**क्षेत्राधिकार एवं साधारण कार्यक्षेत्र**	**कार्य, जो संबंधित न्यायालय की अधिकारिता में है, न्यायालय द्वारा उनके नाम के स्तम्भ क्रं. 3 में वर्णित क्षेत्र के संबंध में किये जावेंगे।**
01.	02.	03.	04.
01.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नर्मदापुरम **श्रीमती रीतु वर्मा कटारिया**	**1.** संपूर्ण जिला नर्मदापुरम, **आरक्षी केंद्र कोतवाली** नर्मदापुरम, से उत्पन्न सभी आपराधिक प्रकरण। **2.** आबकारी वृत नर्मदापुरम "ए" एवं "बी" से उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकरण। **3. चौकी जी.आर.पी.** नर्मदापुरम से उत्पन्न आपराधिक प्रकरण। **4. आरक्षी केंद्र यातायात** नर्मदापुरम। **5. आरक्षी केंद्र देहात** नर्मदापुरम से उत्पन्न सभी आपराधिक प्रकरण। **6.** नर्मदापुरम वन विभाग परिक्षेत्रों से उत्पन्न वन अपराध के परिवाद पत्र एवं वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम	**1.** पूर्व से लंबित समस्त दांडिक प्रकरण। **2.** संपूर्ण जिला नर्मदापुरम में चलित न्यायालय कार्य एवं जिले के समस्त आरक्षी केंद्र क्षेत्रों से उत्पन्न समस्त आपराधिक प्रकरण, संक्षिप्त विचारणीय प्रकरण (समरी), संक्षिप्त विचारण के प्रकरण से संबंधित कार्य एवं विचारण जिसके लिये किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अधिकृत नहीं किया गया है। **3.** स्तम्भ क्रमांक 3 में उल्लेखित **आरक्षी केंद्र** क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण एवं खात्मा तथा जिला नर्मदापुरम स्थित सभी **आरक्षी केंद्रों** के खारिजी प्रतिवेदन। **4.** स्तम्भ क्रमांक 3 में वर्णित आरक्षी केंद्र क्षेत्र से मोटर यान अधिनियम, दुकान एवं संस्थान अधि0, श्रम अधि0, औषधि प्रसाधन अधि0, नगर पालिका अधिनियम,

		से संबंधित प्रकरण (Relating to offences registered by the special tiger strike force units को छोड़कर)	आबकारी अधि0, एन.डी. पी.एस.एक्ट(न्यूनमात्रा), खाद्य सुरक्षा अधि0 एवं खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम एवं क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय नर्मदापुरम(मोटरयान अधिनियम से संबंधित प्रकरण) के अंतर्गत उत्पन्न समस्त आपराधिक प्रकरणों के संज्ञान एवं विचारण। **5.** मेंटल हेल्थ एंड केयर एक्ट से संबंधित मामले। **6.** जिला नर्मदापुरम स्थित समस्त आरक्षी केंद्र क्षेत्रों से मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत प्रकरण/इस्तगासा, जहां वाइन में ओव्हर लोडिंग से संबंधित है। **7.** संपूर्ण नर्मदापुरम जिले में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में लंबित प्रकरणों से संबंधित धारा–410 दप्रस. के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र। **8.** Lynching and Mob violence से संबंधित प्रकरण **9.** संपूर्ण नर्मदापुरम जिले से संबंधित समस्त खारजी प्रकरण।
02.	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नर्मदापुरम **श्री शिवचरण पटेल**	**1. आरक्षी केंद्र माखन नगर** क्षेत्र से उत्पन्न सभी आपराधिक प्रकरण। **2.** खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 से संबंधित आपराधिक प्रकरण। **3.** ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न अपराधिक प्रकरण।	**1.** पूर्व से लंबित समस्त दांडिक प्रकरण । **2.** कॉलम नंबर–3 में उल्लेखित आरक्षी केंद्र क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, परिवाद पत्र, संक्षिप्त विचारणीय प्रकरण (समरी) प्रकरण एवं खात्मा प्रतिवेदन। **3.** नर्मदापुरम वन विभाग परिक्षेत्रों, खनन अपराध एवं भा.वन अधि.म.प्र. वन उपज अधिनियम प्रकरणों का विचारण एवं उनसे संबंधित कार्य तथा वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के प्रकरणों का विचारण एवं उनसे संबंधित कार्य। **4.** नर्मदापुरम जिले एवं अन्य न्यायिक दंडाधिकारी के कार्यक्षेत्र के उन प्रकरण का विचारण जो समय समय पर सक्षम न्यायालय द्वारा अधिकृत एवं अंतरित किया जावे।

			5. कॉलम नम्बर 03 में उल्लेखित थाने एवं आरक्षी केंद्र सिटी कोतवाली नर्मदापुरम क्षेत्रों से उद्भूत रिक्त न्यायालयों के बेम्यादी वारण्टों से संबंधित प्रकरणों (*महिलाओं के विरूद्ध मजिस्ट्रेट ट्रायल अपराध के प्रकरणों को छोड़कर)* का निराकरण तथा अन्य अपील न्यायालयों से आने वाले आदेशों का निष्पादन एवं अन्य विविध कार्यवाहियॉ। **6.** आरक्षी केंद्र माखन नगर क्षेत्र के संक्षिप्त विचारणीय प्रकरण (समरी) प्रकरण।
03.	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नर्मदापुरम **श्रीमती प्रियंका रतोनिया सिंह**	**1. आरक्षी केंद्र डोलरिया** से उत्पन्न सभी आपराधिक प्रकरण। **2.** आबकारीवृत डोलरिया क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकरण।	**1.** पूर्व से लंबित एवं वर्तमान में स्थानांतरित समस्त दांडिक प्रकरण। **2.** मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय–समय पर अंतरित एवं नर्मदापुरम जिले एवं अन्य न्यायिक दंडाधिकारी के कार्यक्षेत्र के उन प्रकरणों का विचारण जो समय–समय पर सक्षम न्यायालय द्वारा अधिकृत एवं अंतरित कर सौंपे जावे। **3.** स्तंभ क्रमांक 3 में उल्लेखित आरक्षी केंद्र क्षेत्र एवं अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले प्रकरणों से उद्भूत रिक्त न्यायालयों के एवं बेम्यादी वारंटों से उत्पन्न प्रकरणों का निराकरण तथा अन्य अपील न्यायालयों से आने वाले आदेशों का निष्पादन एवं अन्य विविध कार्यवाहियों का निराकरण। **4.** स्तंभ क्रमांक 3 में उल्लेखित आरक्षी केंद्र क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, परिवाद पत्र, संक्षिप्त विचारणीय प्रकरण (समरी) एवं खात्मा प्रतिवेदन। **5.** महिला आरक्षी केंद्र नर्मदापुरम एवं आरक्षी केंद्र अ0जा0क0 के धारा– 164 दंप्रसं के कथन एवं आरक्षी केंद्र जी.आर. पी. एवं आरक्षी केंद्र माखन नगर के क्षेत्र अंतर्गत उत्पन्न लैगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम से संबंधित प्रकरण तथा अन्य आपराधिक प्रकरणों में धारा 164 द.प्र.सं.के कथनों का

			लेखबद्ध किया जाना व सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों के धारा 164 दप्रस.के कथन लेखबद्ध किया जाना। **6.** तहसील नर्मदापुरम स्थित समस्त आरक्षी केंद्र क्षेत्रों के {लैंगेक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम संबंधित प्रकरणों को छोड़कर} महिलाओं से संबंधित अपराधों के संबध में तथा अन्य आरक्षी केंद्र क्षेत्रों के धारा 164 दप्रस. के कथन लेखबद्ध करना, जिसका क्षेत्राधिकार तहसील नर्मदापुरम स्थित, किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट को नहीं दिया गया है व सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों के धारा 164 दप्रस.के कथन लेखबद्ध किया जाना। **7.** अपील न्यायालय से आने वाले आदेशों एवं रिमांड होने वाले समस्त प्रकरणों का निष्पादन एवं अन्य विविध कार्यवाहियों का निराकरण।
04.	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नर्मदापुरम **श्रीमती रूचि पाण्डेय**	**1. महिला आरक्षी केंद्र नर्मदापुरम** एवं मुख्यालय नर्मदापुरम स्थित समस्त आरक्षी केंद्र क्षेत्रों से उत्पन्न महिलाओं के विरूद्ध घटित समस्त आपराधिक प्रकरण (अंतर्गत धारा 292, 354, 354A, 354B, 354C, 354D, 375, 376, 376A, 376V, 376C, 376D, 376E, 493, 498, 498A, 304B, 509 IPC) एवं घरेलू हिंसा, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, धारा 125(3) के अंतर्गत समस्त पत्रावली।	**1.** पूर्व से लंबित समस्त दांडिक प्रकरण। **2.** मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय–समय पर अंतरित एवं नर्मदापुरम जिले एवं अन्य न्यायिक दंडाधिकारी के कार्यक्षेत्र के उन प्रकरणों का विचारण जो समय–समय पर सक्षम न्यायालय द्वारा अधिकृत एवं अंतरित कर सौंपे जावे। **3.** कमांक 3 में उल्लेखित आरक्षी केंद्र क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, परिवाद पत्र एवं खात्मा प्रतिवेदन। **4.** आरक्षी केंद्र देहात क्षेत्र से उत्पन्न लैंगिक अपराधो से बालकों के संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रकरणों तथा अन्य आपराधिक प्रकरणों में धारा 164 के कथन लेखबद्ध किय जाना व सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों के धारा 164 दप्रस.के कथन लेखबद्ध किया जाना व सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय

			<u>प्रकरणों को छोड़कर)</u> प्रकरणों का निराकरण तथा अन्य अपील न्यायालयों से आने वाले आदेशों का निष्पादन एवं अन्य विविध कार्यवाहियों का निराकरण। **11.** स्तंभ क्रमांक 3 में उल्लेखित आरक्षी केंद्र क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, परिवाद पत्र, प्रकरण एवं खात्मा प्रतिवेदन।
05.	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नर्मदापुरम **सुश्री स्वाति कौशल**	**1.** जिला नर्मदापुरम से संबंधित समस्त आरक्षी केंद्र क्षेत्र से उत्पन्न धारा–138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के समस्त प्रकरण।	**1.** पूर्व से लंबित समस्त दांडिक प्रकरण। **2.** मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय–समय पर अंतरित एवं नर्मदापुरम जिले एवं अन्य न्यायिक दंडाधिकारी के कार्यक्षेत्र के उन प्रकरणों का विचारण जो समय–समय पर सक्षम न्यायालय द्वारा अधिकृत एवं अंतरित कर सौंपे जावे। **3.** जिला नर्मदापुरम से संबंधित समस्त आरक्षी केंद्र क्षेत्र से उत्पन्न धारा–138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के समस्त प्रकरण एवं स्थायी वारंट। **4.** कॉलम नम्बर 03 में उल्लेखित आरक्षी केंद्र क्षेत्रों से (जिसका क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को न दिया गया हो) उद्भूत रिक्त न्यायालयों के बेम्यादी वारण्टों से संबंधित प्रकरणों <u>(महिलाओं के विरूद्ध मजिस्ट्रेट ट्रायल अपराध हेतु गठित विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों को छोड़कर) तथा धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के रिक्त न्यायालयों के स्थायी वारंट से संबंधित प्रकरण तथा अन्य अपीलीय न्यायालयों से आने वाले आदेशों का निष्पादन एवं अन्य विविध कार्यवाहियों</u> का निराकरण।
06.	प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्यायालय बोर्ड नर्मदापुरम **रिक्त पद**	किशोर न्यायालय बोर्ड से संबंधित समस्त प्रकरण संपूर्ण जिला नर्मदापुरम।	**1.** किशोर न्यायालय बोर्ड से संबंधित संपूर्ण जिला नर्मदापुरम के क्षेत्राधिकार के समस्त प्रकरण एवं जांच कार्यवाहियॉं।

प्रकरणों के धारा 164 दप्रस.के कथन लेखबद्ध किया जाना।

5. आरक्षी केंद्र कोतवाली क्षेत्र से उत्पन्न लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रकरणों तथा अन्य आपराधिक प्रकरणों नें धारा 164 दप्रसं. के कथन लेखबद्ध किया जाना व सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों के धारा 164 दप्रस.के कथन लेखबद्ध किया जाना

6. आरक्षी केंद्र डेलरिया क्षेत्र से उत्पन्न लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रकरणों तथा अन्य आपराधिक प्रकरणों में धारा 164 के कथन लेखबद्ध किया जाना व सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों के धारा 164 दप्रस.के कथन लेखबद्ध किया जाना

7. वर्चुअल कोर्ट के समस्त कार्य एवं प्रकरणों की सुनवाई।

8. माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार महिलाओं के विरूद्ध किये गये अपराधों के त्वरित निराकरण हेतु अधिसूचित महिला विशेष न्यायालय के रूप में तहसील नर्मदापुरम के सभी आरक्षी केंद्र क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाले महिलाओं के विरूद्ध घटित समस्त अपराध, घरेलू हिंसा, दहेज प्रतिषेध अधिनियम का विचारण एवं उनसे विविध कार्यवाही एवं संबंधित कार्य।

9. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित एवं नर्मदापुरम जिले एवं अन्य न्यायिक दंडाधिकारी के कार्यक्षेत्र के उन प्रकरणों का विचारण जो समय समय पर सक्षम न्यायालय द्वारा अधिकृत एवं अंतरित कर सौंपे जावे।

10. कॉलम नम्बर 05 मे उल्लेखित अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले प्रकरणों से उद्भूत रिक्त न्यायालयों के एवं बेम्यादी वारंटों से उत्पन्न *(धारा–138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के*

सिविल न्यायालय इटारसी

07.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, इटारसी **श्री सूर्यपाल सिंह राठौर**	1. **आरक्षी केंद्र इटारसी,** वन विभाग से उत्पन्न समस्त आपराधिक प्रकरण, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 से संबंधित आपराधिक प्रकरण। 2. इटारसी क्षेत्राधिकार के आबकारी से उत्पन्न समस्त प्रकरण। 3. **आरक्षी केंद्र जी.आर.पी. इटारसी** से उत्पन्न समस्त आपराधिक प्रकरण।	1. आरक्षी केंद्र जी.आर.पी., आरक्षी केंद्र इटारसी से उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण, संक्षिप्त विचारणीय प्रकरण (समरी), निजी परिवाद, खात्मा प्रतिवेदन *(महिलाओं के विरूद्ध अपराध हेतु गठित विशेष न्यायालय के क्षेत्राधिकार के प्रकरणों को छोड़कर)* का विचारण एवं उनसे विविध कार्यवाही एवं संबंधित कार्य। 2. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित एवं नर्मदापुरम जिले एवं अन्य न्यायिक दंडाधिकारी के कार्यक्षेत्र के उन प्रकरण का विचारण जो समय समय पर सक्षम न्यायालय द्वारा अधिकृत एवं अंतरित कर सौंपे जावे। 3. Lynching and Mob violence से संबंधित प्रकरण
08.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी इटारसी **श्रीमती आयुषी गुप्ता**	1. **आरक्षी केंद्र केसला** से उत्पन्न समस्त आपराधिक प्रकरण। 2. **इटारसी तहसील के सभी आरक्षी केंद्र क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाले महिलाओं के विरूद्ध घटित** समस्त आपराधिक प्रकरण (अंतर्गत धारा 292, 354, 354A, 354B, 354C, 354D, 375, 376, 376A, 376V, 376C, 376D, 376E, 493, 498, 498A, 304B, 509 IPC), घरेलू हिंसा, दहेज प्रतिषेध अधिनियम एवं अन्य आपराधिक मामले जो मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय हो तथा दं.प्र.सं. की धारा– 125, 127, 125–3 के समस्त प्रकार के आवेदन।	1. पूर्व से लंबित समस्त दांडिक प्रकरण। 2. स्तम्भ कमांक 3 में उल्लेखित आरक्षी केंद्र क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकार के *(धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के प्रकरणों को छोड़कर)* आपराधिक प्रकरण, निजी परिवाद, संक्षिप्त विचारणीय प्रकरण (समरी) प्रकरण, खात्मा प्रतिवेदन। 3. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित एवं नर्मदापुरम जिले एवं अन्य न्यायिक दंडाधिकारी के कार्यक्षेत्र के उन प्रकरण का विचारण जो समय समय पर सक्षम न्यायालय द्वारा अधिकृत एवं अंतरित कर सौंपे जावे। 4. कॉलम नम्बर 03 में उल्लेखित आरक्षी केंद्र क्षेत्रों से उद्भूत रिक्त न्यायालयों के एवं बेम्यदो वारंटों से उत्पन्न प्रकरणों का निराकरण। 5. माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार महिलाओं के विरूद्ध किये

			गये अपराधों के त्वरित निराकरण हेतु अधिसूचित महिला विशेष न्यायालय के रूप में इटारसी तहसील के सभी आरक्षी केंद्र क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाले महिलाओं के विरूद्ध घटित समस्त अपराध, घरेलू हिंसा, दहेज प्रतिषेध अधिनियम एवं अन्य आपराधिक मामले तथा द.प्र.सं. की धारा– 125, 127,125–3 के समस्त आवेदन एवं उनके निष्पादन संबंधी प्रकरण *(धारा–138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के प्रकरणों को छोड़कर)* का विचारण एवं उनसे विविध कार्यवाही एवं संबंधित कार्य।
9.	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी **श्रीमती प्राची कौरव**	1. **आरक्षी केंद्र पथरोटा** से उत्पन्न समस्त आपराधिक प्रकरण।	**1.** आरक्षी केंद्र पथरोटा स्तंभ कमांक 3 में उल्लेखित से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, परिवाद पत्र एवं खात्मा प्रतिवेदन, संक्षिप्त विचारणीय प्रकरण (समरी)। **2.** मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित एवं नर्मदापुरम जिले एवं अन्य न्यायिक दंडाधिकारी के कार्यक्षेत्र के उन प्रकरण का विचारण जो समय समय पर सक्षम न्यायालय द्वारा अधिकृत एवं अंतरित कर सौंपे जावे **3.** तहसील इटारसी स्थित समस्त आरक्षी केंद्र से उत्पन्न लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम एवं महिलाओं के प्रति हुए अपराधों से संबंधित प्रकरणों को (आरक्षी केंद्र पथरोटा से उत्पन्न आपराधिक प्रकरणों को छोड़कर) एवं अन्य आपराधिक प्रकरणों के धारा–164 द.प्र.सं. के कथन लेखबद्ध किया जाना व सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों के धारा 164 दप्रसं.के कथन लेखबद्ध किया जाना।
10.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, इटारसी	1. **आरक्षी केंद्र तवानगर** से उत्पन्न समस्त आपराधिक प्रकरण।	1. आरक्षी केंद्र तवानगर से उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण, निजी परिवाद, संक्षिप्त विचारणीय

श्री यतिन अग्रवाल	**2.** तहसील इटारसी स्थित समस्त आरक्षी केंद्र क्षेत्रों के धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत से उत्पन्न आपराधिक प्रकरण।	प्रकरण (समरी) प्रकरण, खात्मा प्रतिवेदन *(महिलाओं के विरूद्ध अपराध हेतु गठित विशेष न्यायालय के क्षेत्राधिकार के प्रकरणों को छोड़कर)* का विचारण एवं उनसे विविध कार्यवाही एवं संबंधित कार्य और तहसील इटारसी स्थित समस्त आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न धारा–138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के प्रकरण **2.** मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित एवं नर्मदापुरम जिले एवं अन्य न्यायिक दंडाधिकारी के कार्यक्षेत्र के उन प्रकरण का विचारण जो समय समय पर सक्षम न्यायालय द्वारा अधिकृत एवं अंतरित कर सौंपे जावे।
11. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, इटारसी **श्रीमती पूजा भदोरिया**	**1. आरक्षी केंद्र रामपुर गुर्रा** से उत्पन्न समस्त आपराधिक प्रकरण।	**1.** आरक्षी केंद्र रामपुर गुर्रा से उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण, संक्षिप्त विचारणीय प्रकरण (समरी), निजी परिवाद, खात्मा प्रतिवेदन *(महिलाओं के विरूद्ध अपराध हेतु गठित विशेष न्यायालय के क्षेत्राधिकार के प्रकरणों को छोड़कर)* का विचारण एवं उनसे विविध कार्यवाही एव संबंधित कार्य। **2.** पूर्व से लंबित समस्त दांडिक प्रकरण। **3.** मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित एवं नर्मदापुरम जिले एवं अन्य न्यायिक दंडाधिकारी के कार्यक्षेत्र के उन प्रकरण का विचारण जो समय समय पर सक्षम न्यायालय द्वारा अधिकृत एवं अंतरित कर सौंपे जावे **4.** तहसील इटारसी स्थित आरक्षी केंद्र पथरोटा के समस्त आपराधिक प्रकरणों के धारा–164 द.प्र.सं. के कथन लेखबद्ध किया जाना। **5.** तहसील इटारसी के समस्त आरक्षी केंद्रों से उद्भूत रिक्त न्यायालयों के एवं बेम्यादी वारंटों से उत्पन्न *(अधिसूचित विशेष महिलाओं से संबंधित अपराध को छोड़कर)* प्रकरणों का निराकरण। **6.** अपील न्यायालय से आने वाले आदेशों

			एवं रिमांड होने वाले समस्त प्रकरणों का निष्पादन एवं अन्य विविध कार्यवाहियों का निराकरण।

सिविल न्यायालय सिवनी मालवा

12.	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सिवनी मालवा **श्रीमती सहांगी दुग्गल**	1. आरक्षी केंद्र सिवनीमालवा, आबकारी वृत्त, वन परिक्षेत्र, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण। 2. सिवनी मालवा तहसील के सभी आरक्षी केंद्र क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाले महिलाओं के विरूद्ध घटित समस्त आपराधिक प्रकरण (अंतर्गत धारा 292, 354, 354A, 354B, 354C, 354D, 375, 376, 376A, 376V, 376C, 376D, 376E, 493, 498, 498A, 304B, 509 IPC), घरेलू हिंसा, दहेज प्रतिषेध अधिनियम एवं अन्य आपराधिक मामले जो मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय हो तथा दं.प्र.सं. की धारा–125, 127, 125–3 के समस्त प्रकार के आवेदन।	1. आरक्षी केंद्र सिवनीमालवा, आबकारी वृत्त, वन परिक्षेत्र में होने वाले समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण, निजी परिवाद, संक्षिप्त विचारणीय (समरी) प्रकरण, खात्मा प्रतिवेदन। आरक्षी केंद्र शिवपुर क्षेत्र में उत्पन्न नगर पालिका अधिनियम खाद्य अपमिश्रण एवं निवारण अधिनियम, दुकान एवं संस्थान अधिनियम, श्रम अधिनियम, औषधी प्रसाधन अधिनियम,एन0डी0पी0एस0(न्यूनमात्रा) एक्ट के ऐसे प्रकरण जो न्यायिक मजिस्ट्रेट की विचारण अधिकारिता अंतर्गत के है, आपराधिक प्रकरणों का विचारण एवं उनसे संबंधित कार्य। 2. भा.वन अधि.न.प्र. वन उपज अधिनियम प्रकरणों का विचारण एवं उनसे संबंधित कार्य तथा वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के प्रकरणों का विचारण एवं उनसे संबंधित कार्य। 3. आरक्षी केंद्र सिवनीमालवा से उत्पन्न एम.जे.सी. व स्थायी वारंट। 5. आरक्षी केन्द्र शिवपुर से उत्पन्न आपराधिक प्रकरण (महिलाओं से संबंधित प्रकरणों को छोड़कर) के अधीन प्रकरणों के धारा–164 द.प्र.सं के कथन लेखबद्ध किया जाना। 6. अपील न्यायालय से आने वाले आदेशों एवं रिमांड होने वाले समस्त प्रकरणों का निष्पादन एवं अन्य विविध कार्यवाहियों का निराकरण। 7. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित एवं नर्मदापुरम जिले एवं अन्य न्यायिक दंडाधिकारी के कार्यक्षेत्र के उन प्रकरण का विचारण जो समय समय पर सक्षम न्यायालय द्वारा अधिकृत एवं

			अंतरित कर सौंपे जावे। 8. Lynching and Mob violence से संबंधित प्रकरण
13.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, सिवनीमालवा **सुश्री सरोज डेहरिया**	1. **आरक्षी केंद्र शिवपुर** से उत्पन्न सभी आपराधिक प्रकरण। 2. आरक्षी केंद्र शिवपुर एवं सिवनी मालवा से उत्पन्न धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के समस्त प्रकरण।	1. पूर्व से लंबित समस्त दांडिक प्रकरण। 2. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित एवं नर्मदापुरम जिले एवं अन्य न्यायिक दंडाधिकारी के कार्यक्षेत्र के उन प्रकरण का विचारण जो सन्य समय पर सक्षम न्यायालय द्वारा अधिकृत एवं अंतरित कर सौंपे जावे। 3. आरक्षी केंद्र सिवनी मालवा व शिवपुर के महिलाओं के विरूद्ध हुए मजिस्ट्रेट द्वायल अपराध से संबंधित प्रकरणों के धारा–164 द.प्र.सं. के कथन लेखबद्ध किया जाना व आरक्षी केंद्र सिवनी मालवा के अन्य आपराधिक प्रकरणों के धारा–164 द.प्र.स के कथन लेखबद्ध किया जाना, आरक्षी केन्द्र शिवपुर एवं आरक्षी केन्द्र सिवनी मालव से उत्पन्न लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के अधीन प्रकरणों के धारा–164 द.प्र.सं. के कथन लेखबद्ध किया जाना व सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों के धारा 164 दप्रस.के कथन लेखबद्ध किया जाना।
		<u>सिविल न्यायालय पिपरिया</u>	
14.	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पिपरिया **श्री मनीष कुमार पारिक**	1. आरक्षी केंद्र स्टेशन रोड पिपरिया, आरक्षी केंद्र पचमढ़ी, पचमढ़ी एवं वन परिक्षेत्र पिपरिया से संबंधित प्रकरण, श्रंखला न्यायालय पचमढ़ी एवं छावनी क्षेत्र अधिनियम एवं विशेष प्राधिकरण क्षेत्र पचमढ़ी एवं से संबंधित प्रकरण। 2. खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 से संबंधित	1. आरक्षी केंद्र स्टेशन रोड पिपरिया, आरक्षी केंद्र पचमढ़ी, पचमढ़ी एवं वन परिक्षेत्र पिपरिया क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण *<u>(महिलाओं से संबंधित अपराधों को छोड़कर)</u>* परिवाद, स्क्षिप्त विचारणीय प्रकरण (समरी), खात्मा प्रतिवेदन। 2. पूर्व से लंबित समस्त दांडिक प्रकरण। 3. छावनी परिषद पचमढ़ी एवं विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत समस्त प्रकरण। 4. भारतीय वन अधिनियम, म.प्र. वन

	आपराधिक प्रकरण एवं उपज अधिनियम प्रकरणों का विचारण एवं तहसील पिपरिया स्थित उनसे संबंधित कार्य तथा वन्य प्राणी समस्त आरक्षी केंद्र क्षेत्रों से संरक्षण अधिनियम संबंधित प्रकरणों का उत्पन्न आपराधिक संक्षिप्त विचारण एवं उनसे संबंधित कार्य। विचारणीय प्रकरण (समरी) प्रकरण।	5. आरक्षी केंद्र स्टेशन रोड पिपरिया, आरक्षी केंद्र पचमढ़ी, पचमढ़ी एवं वन परिक्षेत्र पिपरिया क्षेत्र में उत्पन्न नगर पालिका अधिनियम खाद्य अपमिश्रण एवं निवारण अधिनियम, दुकान एवं संस्थान अधिनियम, श्रम अधिनियम, औषधी प्रसाधन अधिनियम,एन0डी0पी0एस0(न्यूनमात्रा) एक्ट के ऐसे प्रकरण जो न्यायिक मजिस्ट्रेट की विचारण अधिकारिता अंतर्गत के है, से संबंधित आपराधिक प्रकरणो का विचारण एवं उनसे संबंधित कार्य। 6. कॉलम नम्बर 03 में उल्लेखित आरक्षी केंद्र क्षेत्रों से उद्भूत रिक्त न्यायालयों के <u>महिलाओं से संबंधित अपराध को छोड़कर) बेम्यादी वारण्टों से संबंधित प्रकरणों *(समस्त आरक्षी केंद्र क्षेत्रों से उत्पन्न धारा– 138 परक्राम्य लिखत अधिनियमों के प्रकरण को छोड़कर)*</u> का निराकरण तथा अन्य अपील न्यायालयों से आने वालों आदेशों का निष्पादन एव अन्य विविध कार्यवाहियॉ। 7. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित एवं नर्मदापुरम जिले एवं अन्य न्यायिक दंडाधिकारी के कार्यक्षेत्र के उन प्रकरण का विचारण जो समय समय पर सक्षम न्यायालय द्वारा अधिकृत एवं अंतरित कर सौंपे जावे। 8. Lynching and Mob violence से संबंधित प्रकरण
15.	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पिपरिया **श्रीमती नरून** **निशा अंसारी**	1. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित एवं नर्मदापुरम जिले एवं अन्य न्यायिक दंडाधिकारी के कार्यक्षेत्र के उन प्रकरण का विचारण जो समय समय पर सक्षम न्यायालय द्वारा अधिकृत एवं अंतरित कर सौंपे जावे।	

16.	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पिपरिया **श्री अखिलेश चाण्डक**	1. **आरक्षी केंद्र मंगलवारा पिपरिया** से उत्पन्न सभी आपराधिक प्रकरण। 2. आबकारी वृत पिपरिया से संबंधित प्रकरण। 3. **जी.आर.पी.चौकी पिपरिया** से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण। 4. तहसील पिपरिया स्थित समस्त आरक्षी केंद्रों से उत्पन्न धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत उत्पन्न प्रकरण।	1. आरक्षी केंद्र मंगलवारा पिपरिया, जी.आर.पी चौकी पिपरिया, आबकारी वृत पिपरिया क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण, संक्षिप्त विचारणीय प्रकरण (समरी), निजी परिवाद, खात्मा प्रतिवेदन *(केवल महिलाओं से संबंधित अपराधों एवं विशेष रूप से अधिसूचित न्यायालयों के प्रकरणों को छोड़कर)* तथा अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत विचारणीय प्रकरणों से संबंधित विविध कार्यवाहियॉं। 2. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित एवं नर्मदापुरम जिले एवं अन्य न्यायिक दंडाधिकारी के कार्यक्षेत्र के उन प्रकरण का विचारण जो समय समय पर सक्षम न्यायालय द्वारा अधिकृत एवं अंतरित कर सौंपे जावे। 3. पूर्व से लंबित समस्त दांडिक प्रकरण। 4. स्तम्भ कमांक 3 में उल्लेखित आरक्षी केंद्र क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले आपराधिक प्रकरण, संक्षिप्त विचारणीय प्रकरण (समरी), निजी परिवाद, खात्मा प्रतिवेदन तथा अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत विचारणीय प्रकरणों से संबंधित विविध कार्यवाहियॉं। 5. कॉलम नम्बर 03 में उल्लेखित आरक्षी केंद्र क्षेत्रों से उद्भूत रिक्त न्यायालयों के एवं स्थायी वारंटों से उत्पन्न प्रकरणों का निराकरण तथा अन्य अपील न्यायालयों से आने वालों आदेशों का निष्पादन एवं अन्य विविध कार्यवाहियों का निराकरण। 6. तहसील–पिपरिया स्थित समस्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न धारा–138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के प्रकरण एवं स्थाई वारंट। 6. तहसील पिपरिया स्थित समस्त आरक्षी केंद्रों से उत्पन्न लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम एवं

			महिलाओं के प्रति हुए अपराधों से संबंधित प्रकरण एवं अन्य आपराधिक प्रकरण (स्तंभ कमांक 3 में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों को छोड़कर) के धारा–164 द.प्र.सं के कथन लेखबद्ध किये जाने का कार्य व सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों के धारा 164 दप्रस.के कथन लेखबद्ध किया जाना।
17.	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पिपरिया **श्रीमती शालिनी मिश्रा शुक्ला**	1. **आरक्षी केंद्र बनखेड़ी** से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण। 2. तहसील–पिपरिया के सभी आरक्षी केंद्र क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाले महिलाओं के विरूद्ध घटित समस्त आपराधिक प्रकरण (अंतर्गत धारा 292, 354] 354A, 354B, 354C, 354D, 375, 376, 376A, 376V, 376C, 376D, 376E, 493, 498, 498A, 304B, 509 IPC), घरेलू हिंसा, दहेज प्रतिषेध अधिनियम एवं अन्य आपराधिक मामले जो मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है, तथा दं.प्र.सं. की धारा– 125, 127, 125–3 के समस्त प्रकार के आवेदन।	1. पूर्व से लंबित समस्त दांडिक प्रकरण 2. स्तम्भ कमांक 3 में उल्लेखित आरक्षी केंद्र बनखेड़ी पिपरिया क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण, संक्षिप्त विचारणीय प्रकरण (समरी) प्रकरण, निजी परिवाद, खात्मा प्रतिवेदन तथा अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत विचारणीय प्रकरणों से संबंधित विविध कार्यवाहियॉ। 3. आरक्षी केंद्र स्टेशन रोड़ पिपरिया, आरक्षी केंद्र मंगलवारा पिपरिया एवं आरक्षी केंद्र पचमढी से समस्त आपराधिक प्रकरण (महिलाओं से संबंधित प्रकरणों को छोड़कर) के धारा–164 द.प्र.सं. के कथन लेखबद्ध किया जाना व सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों के धारा 164 दप्रस.के कथन लेखबद्ध किया जाना। 4. अपील न्यायालय से आने वाले आदेशों एवं रिमांड होने वाले समस्त प्रकरणों का निष्पादन एवं अन्य विविध कार्यवाहियों का निराकरण। 5. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित एवं नर्मदापुरम जिले एव अन्य न्यायिक दंडाधिकारी के कार्यक्षेत्र के उन प्रकरण का विचारण जो समय समय पर सक्षम न्यायालय द्वारा अधिकृत एवं अंतरित कर सौंपे जावे।
18.	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,		1. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित एवं नर्मदापुरम जिले एवं

	पिपरिया **श्रीमती दिशा चाण्डक**		अन्य न्यायिक दंडाधिकारी के कार्यक्षेत्र के उन प्रकरण का विचारण जो समय समय पर सक्षम न्यायालय द्वारा अधिकृत एवं अंतरित कर सौंपे जावे।

सिविल न्यायालय सोहागपुर

19.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी सोहागपुर **कुमारी मधुलिका मुले**	**1. आरक्षी केंद्र–सोहागपुर** एवं आबकारी वृत्त सोहागपुर एवं खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 से संबंधित आपराधिक प्रकरण। **2.** ग्राम न्यायालय सोहागपुर के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न अपराधिक प्रकरण। **2.** तहसील–सोहागपुर के सभी आरक्षी केंद्र क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाले महिलाओं के विरूद्ध घटित समस्त आपराधिक प्रकरण(अंतर्गत धारा 292, 354, 354A, 354B, 354C, 354D, 375, 376, 376A, 376V, 376C, 376D, 376E, 493, 498, 498A, 304B, 509 IPC), घरेलू हिंसा, दहेज प्रतिषेध अधिनियम एवं अन्य आपराधिक मामले जो मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है, तथा दं.प्र.सं. की धारा– 125, 127, 125–3 के समस्त प्रकार के आवेदन।	**1.** पूर्व से लंबित समस्त दांडिक प्रकरण। **2.** स्तम्भ कमांक 3 में उल्लेखित आरक्षी केंद्र क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण, संक्षिप्त विचारणीय प्रकरण (समर्री) प्रकरण, निजी परिवाद, खात्मा प्रतिवेदन। **3.** माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार महिलाओं के विरूद्ध किये गये अपराधों के त्वरित निराकरण हेतु अधिसूचित महिला विशेष न्यायालय के प्रकरण आरक्षी केंद्र सोहागपुर एवं कालम नं. 3 में वर्णित 22 गांव जो सोहागपुर न्यायालय के अधिकारिता में है से उत्पन्न समस्त प्रकरण। **4.** स्तम्भ कमांक 3 में उल्लखित आरक्षी केंद्र क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियो के द्वारा पेश भरण पोषण के प्रकरण एवं इसी न्यायालय द्वारा भरण पोषण से संबंधित प्रकरण में पारित आदेशो के निष्पादन के संबंधित प्रकरण **5.** घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के समस्त प्रकरण एवं पारित आदेश के निष्पादन संबंधी प्रकरण का विचारण एवं उनसे संबंधित कार्य **6.** स्तम्भ कमांक 3 में वर्णित आरक्षी केंद्र क्षेत्र में उत्पन्न नगर पालिका अधिनियम खाद्य अपमिश्रण एवं निवारण अधिनियम, दुकान एवं संस्थान अधिनियम, श्रम अधिनियम, औषधी प्रसाधन अधिनियम, एन0डी0पी0एस0 (न्यून मात्रा)एक्ट के ऐसे प्रकरण जो न्यायिक मजिस्ट्रेट की विचारण अधिकारिता अंतर्गत के है, से संबंधित आपराधिक प्रकरणों का विचारण एवं उनसे

			संबंधित कार्य। **7.** आबकारी वृत सोहागपुर द्वारा प्रस्तुत समस्त प्रकार के प्रकरण। **8.** अपील न्यायालय से आने वाले आदेशों एवं रिमांड होने वाले समस्त प्रकरणों का निष्पादन एवं अन्य विविध कार्यवाहियों का निराकरण। **9.** मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित एवं नर्मदापुरम जिले एवं अन्य न्यायिक दंडाधिकारी के कार्यक्षेत्र के उन प्रकरण का विचारण जो समय समय पर सक्षम न्यायालय द्वारा अधिकृत एवं अंतरित कर सौंपे जावे। **10.** आरक्षी केंद्र सोहागपुर से उत्पन्न लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम से संबंधित प्रकरण के धारा–164 द.प्र.स. के कथन लेखबद्ध किया जाना। **11.** Lynching and Mob violence से संबंधित प्रकरण
20.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी सोहागपुर **श्री तेजदीप सिंह सासन**	**1.** आरक्षी केन्द्र सोहागपुर से उत्पन्न धारा–138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के प्रकरण का विचारण। **2.** वन परिक्षेत्र सोहागपुर एवं मड़ई	**1.** पूर्व से लंबित समस्त दांडिक प्रकरण। **2.** मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय–समय पर अंतरित एवं नर्मदापुरम जिले एवं अन्य न्यायिक दंडाधिकारी के कार्यक्षेत्र के उन प्रकरणों का विचारण जो समय–समय पर सक्षम न्यायालय द्वारा अधिकृत एवं अंतरित कर सौंपे जावे। **3.** भा. वन अधि.म.प्र. वन उपज अधिनियम प्रकरणों का विचारण एवं उनसे संबंधित कार्य तथा वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के प्रकरणों का विचारण एवं उनसे संबंधित कार्य। **4.** आरक्षी केंद्र सोहागपुर से उत्पन्न लैंगिक एवं महिलाओं के प्रति हुए अपराधों एवं अन्य अपराधों से सबंधित प्रकरण के धारा–164 द.प्र.स. के कथन लेखबद्ध किया जाना व सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों के धारा 164 दप्रस.के कथन लेखबद्ध किया

जाना।

5. आरक्षी केंद्र सोहागपुर के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न समस्त परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के अंतर्गत उत्पन्न प्रकरण, एम.जे.सी. प्रकरण एवं धारा 138 एन.आई.एक्ट के स्थायी वारंट।

आपराधिक कार्य प्रभार सूची – "अ"

प्रशासनिक कार्य एवं सुविधा की दृष्टि से कार्य विभाजन पत्रक प्रभावशील दिनॉक .....04.2024 से जिला मुख्यालय नर्मदापुरम एवं तहसील न्यायालयों में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश/अनुपस्थिति/रिक्त न्यायालय रहने की दशा में उनके न्यायालय के आवश्यक कार्य एवं धारा 164 द.प्र.सं. के अंतर्गत लेखबंद्ध किये जाने वाले कथन का उनके सम्मुख दर्शाए गए उपस्थित मजिस्ट्रेट द्वारा (धारा 164 के अधीन (2) **जहां कथन अभियोक्त्री का है, वहां वह दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 164 की उप–धारा (5–क)** के अधीन विशेषतः महिला न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा) अभिलिखित किया जाएगा। घटते अनुक्रम में नामांकित मजिस्ट्रेट आवश्यक प्रभार देखेंगे –

जिला न्यायालय नर्मदापुरम

क्रमांक	न्यायालय का नाम	न्यायालय जो आवश्यक कार्य घटते अनुक्रम में उपलब्धता के आधार पर करेंगे
1.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नर्मदापुरम **श्रीमती रीतु वर्मा कटारिया**	1. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, नर्मदापुरम **श्री शिवचरण पटेल** 2. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, नर्मदापुरम **श्रीमती प्रियंका रतोनिया सिंह** 3. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, नर्मदापुरम **श्रीमती रूचि पाण्डेय** 4. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी नर्मदापुरम **सुश्री स्वाति कौशल** 5. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी नर्मदापुरम **श्रीमती दिव्या मित्तल**
2.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी नर्मदापुरम **श्री शिवचरण पटेल**	1. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, नर्मदापुरम **श्रीमती प्रियंका रतोनिया सिंह** 2. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी नर्मदापुरम **सुश्री स्वाति कौशल** 3. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, नर्मदापुरम **श्रीमती रूचि पाण्डेय** 4. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी नर्मदापुरम **श्रीमती दिव्या मित्तल** 5. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नर्मदापुरम **श्रीमती रीतु वर्मा कटारिया**

3.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी नर्मदापुरम **श्रीमती प्रियंका रतोनिया सिंह**	1.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, नर्मदापुरम **श्रीमती रूचि पाण्डेय**
		2.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी नर्मदापुरम **सुश्री स्वाति कौशल**
		3.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी नर्मदापुरम **श्रीमती दिव्या मित्तल**
		4.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी नर्मदापुरम **श्री शिवचरण पटेल**
		5.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नर्मदापुरम **श्रीमती रीतु वर्मा कटारिया**
4.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, नर्मदापुरम **श्रीमती रूचि पाण्डेय**	1.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी नर्मदापुरम **सुश्री स्वाति कौशल**
		2.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी नर्मदापुरम **श्रीमती दिव्या मित्तल**
		3.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी नर्मदापुरम **श्रीमती प्रियंका रतोनिया सिंह**
		4.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी नर्मदापुरम **श्री शिवचरण पटेल**
		5.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नर्मदापुरम **श्रीमती रीतु वर्मा कटारिया**
4.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी नर्मदापुरम **सुश्री स्वाति कौशल**	1.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी नर्मदापुरम **श्रीमती दिव्या मित्तल**
		2.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी नर्मदापुरम **श्रीमती प्रियंका रतोनिया सिंह**
		3.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी नर्मदापुरम **श्री शिवचरण पटेल**
		4.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, नर्मदापुरम **श्रीमती रूचि पाण्डेय**
		5.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नर्मदापुरम **श्रीमती रीतु वर्मा कटारिया**
5.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी नर्मदापुरम **श्रीमती दिव्या मित्तल**	1.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी नर्मदापुरम **श्री शिवचरण पटेल**
		2.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी नर्मदापुरम **श्रीमती प्रियंका रतोनिया सिंह**
		3.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, नर्मदापुरम **श्रीमती रूचि पाण्डेय**
		4.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी नर्मदापुरम **सुश्री स्वाति कौशल**
		5.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नर्मदापुरम **श्रीमती रीतु वर्मा कटारिया**

तहसील न्यायालय इटारसी

1.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, इटारसी **श्री सूर्यपाल सिंह राठौर**	1.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी इटारसी **श्रीमती आयुषी गुप्ता**
		2.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, इटारसी **श्रीमती पूजा भदोरिया**
		3.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, इटारसी **श्रीमती प्राची कौरव**
		4.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, इटारसी **श्री यतिन अग्रवाल**
2.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, इटारसी **श्रीमती आयुषी गुप्ता**	1.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, इटारसी **श्री सूर्यपाल सिंह राठौर**
		2.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, इटारसी **श्रीमती पूजा भदोरिया**
		3.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, इटारसी **श्रीमती प्राची कौरव**
		4.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, इटारसी **श्री यतिन अग्रवाल**
3.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, इटारसी **श्रीमती प्राची कौरव**	1.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, इटारसी **श्री यतिन अग्रवाल**
		2.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, इटारसी **श्रीमती आयुषी गुप्ता**
		3.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी इटारसी **श्रीमती पूजा भदोरिया**
		4.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, इटारसी **श्री सूर्यपाल सिंह राठौर**
4.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, इटारसी **श्री यतिन अग्रवाल**	1.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी इटारसी **श्रीमती आयुषी गुप्ता**
		2.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, इटारसी **श्रीमती पूजा भदोरिया**
		3.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, इटारसी **श्रीमती प्राची कौरव**
		4.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, इटारसी **श्री सूर्यपाल सिंह राठौर**
5.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, इटारसी **श्रीमती पूजा भदोरिया**	1.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, इटारसी **श्रीमती प्राची कौरव**
		2.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी इटारसी **श्रीमती आयुषी गुप्ता**
		3.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, इटारसी **श्री यतिन अग्रवाल**

		4. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, इटारसी **श्री सूर्यपाल सिंह राठौर**

तहसील न्यायालय पिपरिया

1.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, पिपरिया **श्री मनीष कुमार पारिक**	1. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, पिपरिया **श्रीमती शालिनी मिश्रा शुक्ला** 2. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, पिपरिया **श्री अखिलेश चाण्डक** 3. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी पिपरिया **श्रीमती नुरून निशा अंसारी** 4. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, पिपरिया **श्रीमती दिशा चाण्डक** 5. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी सोहागपुर **कुमारी मधुलिका मुले**
2.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, पिपरिया **श्रीमती शालिनी मिश्रा शुक्ला**	1. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी पिपरिया **श्री मनीष कुमार पारिक** 2. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, पिपरिया **श्री अखिलेश चाण्डक** 3. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी पिपरिया **श्रीमती नुरून निशा अंसारी** 4. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, पिपरिया **श्रीमती दिशा चाण्डक** 5. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, सोहागपुर **कुमारी मधुलिका मुले**
3.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, पिपरिया **श्री अखिलेश चाण्डक**	1. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, पिपरिया **श्रीमती शालिनी मिश्रा शुक्ला** 2. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी पिपरिया **श्री मनीष कुमार पारिक** 3. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, पिपरिया **श्रीमती नुरून निशा अंसारी** 4. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, पिपरिया **श्रीमती दिशा चाण्डक** 5. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, सोहागपुर **कुमारी मधुलिका मुले**
4.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, पिपरिया **श्रीमती नुरून निशा अंसारी**	1. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, पिपरिया **श्रीमती शालिनी मिश्रा शुक्ला** 2. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, पिपरिया **श्री अखिलेश चाण्डक** 3. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी पिपरिया **श्री मनीष कुमार पारिक**

		4. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, पिपरिया **श्रीमती दिशा चाण्डक** 5. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, सोहागपुर **कुमारी मधुलिका मुले**
5.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, पिपरिया **श्रीमती दिशा चाण्डक**	1. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, पिपरिया **श्रीमती शालिनी मिश्रा शुक्ला** 2. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, पिपरिया **श्री अखिलेश चाण्डक** 3. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी पिपरिया **श्री मनीष कुमार पारिक** 4. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, पिपरिया **श्रीमती नुरून निशा अंसारी** 5. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, सोहागपुर **कुमारी मधुलिका मुले**

तहसील न्यायालय सोहागपुर

1.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, सोहागपुर **कुमारी मधुलिका मुले**	1. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी सोहागपुर **श्री तेजदीप सिंह सासन** 2. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, पिपरिया **श्रीमती शालिनी मिश्रा शुक्ला** 3. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी पिपरिया **श्री मनीष कुमार पारिक** 4. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, पिपरिया **श्री अखिलेश चाण्डक** 5. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, पिपरिया **श्रीमती नुरून निशा अंसारी** 6. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, पिपरिया **श्रीमती दिशा चाण्डक**
2.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, सोहागपुर **श्री तेजदीप सिंह सासन**	1. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी सोहागपुर **कुमारी मधुलिका मुले** 2. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, पिपरिया **श्री अखिलेश चाण्डक** 3. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, पिपरिया **श्रीमती शालिनी मिश्रा शुक्ला** 4. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी पिपरिया **श्री मनीष कुमार पारिक** 5. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, पिपरिया **श्रीमती नुरून निशा अंसारी** 6. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, पिपरिया **श्रीमती दिशा चाण्डक**

तहसील न्यायालय सिवनी मालवा

1.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, सिवनी मालवा **श्रीमती सहांगी दुग्गल**	1. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी सिवनी मालवा **श्रीमती सरोज देहरिया** 2. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, इटारसी **श्रीमती पूजा भदोरिया** 3. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, इटारसी **श्रीमती प्राची कौरव** 4. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी इटारसी **श्रीमती आयुषी गुप्ता** 5. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, इटारसी **श्री यतिन अग्रवाल** 6. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, इटारसी **श्री सूर्यपाल सिंह राठौर**
2.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, सिवनी मालवा **सुश्री सरोज देहरिया**	1. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी सिवनी मालवा **श्रीमती सहांगी दुग्गल** 2. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी इटारसी **श्रीमती आयुषी गुप्ता** 3. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, इटारसी **श्रीमती पूजा भदोरिया** 4. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, इटारसी **श्री यतिन अग्रवाल** 5. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, इटारसी **श्रीमती प्राची कौरव** 6. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, इटारसी **श्री सूर्यपाल सिंह राठौर**

धारा 176(1) द.प्र.सं. के अंतर्गत बंदियों की मृत्यु की जांच हेतु निम्न न्यायिक मजिस्ट्रेटों को अधिकृत किया जाता है।

क्रमांक	न्यायालय स्थान	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	माह (प्रत्येक माह में उपलब्धता के आधार पर मजिस्ट्रेट परिवर्तित)
1.	**जिला मुख्यालय नर्मदापुरम**	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी नर्मदापुरम **श्री शिवचरण पटेल**	मई 2024

		न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, नर्मदापुरम **श्रीमती प्रियंका रतोनिया सिंह**	जून 2024 अक्टूबर 2024
		न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी नर्मदापुरम **श्रीमती रूचि पाण्डेय**	सितम्बर 2024 दिसंबर 2024
		न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी नर्मदापुरम **श्रीमती दिव्या मित्तल**	जुलाई 2024 नवंबर 2024
		न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी नर्मदापुरम **सुश्री स्वाति कौशल**	अप्रैल 2024 अगस्त 2024
2.	तहसील न्यायालय पिपरिया	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी पिपरिया **श्री मनीष कुमार पारिक**	जून 2024 नवंबर 2024
		न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी पिपरिया **श्रीमती नुरून निशा अंसारी**	जुलाई 2024 दिसंबर 2024
		न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी पिपरिया **श्रीमती शालिनी मिश्रा शुक्ला**	अप्रैल 2024 अगस्त 2024
		न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी पिपरिया **श्रीमती दिशा चाण्डक**	सितम्बर 2024
		न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी पिपरिया **श्री अखिलेश चाण्डक**	मई 2024 अक्टूबर 2024
3.	तहसील न्यायालय सिवनी मालवा	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, सिवनी मालवा **श्रीमती सहांगी दुग्गल**	मई 2024 जुलाई 2024 सितम्बर 2024 नवंबर 2024
		न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, सिवनी मालवा **सुश्री सरोज देहरिया**	अप्रैल 2024 जून 2024 अगस्त 2024 अक्टूबर 2024

दिसंबर 2024

नोटः— यदि बंदी की मृत्यु दिनांक (रात्रि 12 बजकर 1 सेकेंड बजे तिथि परिवर्तित मानी जावेगी) को मृत्यु समीक्षा के लिए अधिकृत न्यायिक मजिस्ट्रेट अवकाश पर या मुख्यालय के बाहर, प्रशिक्षण, प्रोटोकॉल ड्यूटी आदि पर गये हैं तो बंदी की मृत्यु के कारण की जांच उनके न्यायालयीन प्रभार का कार्य का निष्पादन करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा की जावेगी।

06/04/25

श्रीमती रीतु वर्मा कटारिया
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
नर्मदापुरम म.प्र.

आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक वर्ष 2024

क्रमांक /मु.न्या.मजि./2024 नर्मदापुरम, दिनांक :– ...../04/2024

मैं **श्रीमती रीतु वर्मा कटारिया**, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नर्मदापुरम, नर्मदापुरम सिविल जिले में पदस्थ समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, के मध्य उचित रूप से कार्य, वितरण एवं संपादन हेतु पूर्व आपराधिक कार्यविभाजन आदेश क्रमांक ...../मु.न्या.मजि./2024 नर्मदापुरम, दिनांक .....04.2024 में द.प्र.सं. की धारा– **14 (1) एवं 15 (2)** के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये माननीय प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय नर्मदापुरम के अनुमोदन उपरांत, उक्त आदेश के अंत में निम्न पैरा संस्थित करती हूँ, जो कि दिनांक **.....04.2024** से आगामी आदेश पर्यन्त प्रभावशील रहेगा।

अनुसूची (ब)

धारा 52–क सहपठित धारा 76 केन्द्र स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ के अंतर्गत नमूना लिये जाने हेतु प्रभार चार्ज :–

	कॉलम नंबर–1	कॉलम नंबर–2	कॉलम नंबर–3	कॉलम नंबर–4	कॉलम नंबर–5	कॉलम नंबर– 6	कॉलम नंबर–7	कॉलम नंबर–8
क.	थाने का नाम	प्रथम प्रभार	द्वितीय प्रभार	तृतीय प्रभारी	चतुर्थ प्रभारी	पंचम प्रभारी	षष्ठम प्रभारी	सप्तम प्रभारी
1.	1. आरक्षी केंद्र देहात नर्मदापुरम 2. आरक्षी केंद्र कोतवाली नर्मदापुरम 3. आरक्षी केंद्र जी. आर.पी. नर्मदापुरम 4. आरक्षी केंद्र याता यात नर्मदापुरम 5.आबकारी वृत्त 'अ' एवं	**श्री शिवचरण पटेल** न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी नर्मदापुरम	**श्रीमती प्रियंका रतोनिया सिंह** न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी नर्मदापुरम	**श्रीमती रूचि पाण्डेय** न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी नर्मदापुरम	**सुश्री स्वाति कौशल** न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी नर्मदापुरम	**श्रीमती दिव्या मित्तल** न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी नर्मदापुरम	.....	.....

	'ब' 6. आरक्षी केंद्र डोलरिया 7. आरक्षी केंद्र माखन नगर 8. महिला आरक्षी केंद्र नर्मदापुरम							
2.	1. आरक्षी केंद्र इटारसी 2. आरक्षी केंद्र केसला 3. आरक्षी केंद्र रामपुर गुर्रा 4. आरक्षी केंद्र जी. आर.पी. इटारसी 5. आरक्षी केंद्र तवानगर 6. आरक्षी केंद्र पथरोटा 7. आरक्षी केंद्र आबकारी वृत्त इटारसी	**श्री सूर्यपाल सिंह राठौर** न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी इटारसी	**श्रीमती आयुषी गुप्ता** न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी इटारसी	**श्रीमती प्राची कौरव** न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी इटारसी	**श्रीमती पूजा भदौरिया** न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी इटारसी	**श्री यतिन अग्रवाल** न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी इटारसी	.....	.....
3.	1. आरक्षी केंद्र सिवनी	**श्रीमती सहांगी दग्गल**	**श्रीमती सरोज देहरिया**	**सूर्यपाल सिंह राठौर**	**यतिन अग्रवाल** न्यायिक	**श्रीमती आयुषी गुप्ता**	**श्रीमती प्राची कौरव**	**श्रीमती पूजा भदौरिय**

	मालवा 2. आरक्षी केंद्र शिवपुर 3. आरक्षी केंद्र आबकारी वृत्त सिवनी मालवा	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी सिवनी मालवा	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी सिवनी मालवा	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी इटारसी	मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी इटारसी	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी इटारसी	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणो इटारसी	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी इटारसी
4.	1. आरक्षी केंद्र स्टेशन रोड पिपरिया 2. आरक्षी केंद्र मंगलवारा पिपरिया 3. आरक्षी केंद्र पचमढ़ी 4. आरक्षी केंद्र जी. आर.पी. पिपरिया 5. आरक्षी केंद्र बनखेड़ी 6. आरक्षी केंद्र आबकारी वृत्त पिपरिया	**श्री मनीष कुमार पारिक** न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी पिपरिया	**श्री अखिलेश चाण्डक** न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी पिपरिया	**श्रीमती शालिनी मिश्रा शुक्ला** न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी पिपरिया	**श्रीमती नुरून निशा अंसारी** न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी पिपरिया	**श्रीमती दिशा चाण्डक** न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी पिपरिया	.....	.....
5.	1. आरक्षी केंद्र सोहागपुर 2. आरक्षी केंद्र	**कुमारी मधुलिका मूले** न्यायिक मजिस्ट्रेट,	**श्री तेजदीप सिंह सासन** न्यायिक	**श्री मनीष कुमार पारिक** न्यायिक मजिस्ट्रेट,	**श्री अखिलेश चाण्डक** न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी	**श्रीमती शालिनी मिश्रा शुक्ला** न्यायिक	**श्रीमती नुरून निशा अंसारी** न्यायिक	**श्रीमती दिशा चांडक** न्यायिक मजिस्ट्रेट,

आबकारी वृत्त सोहागपुर	प्रथम श्रेणी सोहागपुर	मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी सोहागपुर	प्रथम श्रेणी पिपरिया	पिपरिया	मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी पिपरिया	मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी पिपरिया	प्रथम श्रेणी पिपरिया

नोटः–

1. इस सूची के अतिरिक्त अन्य किसी स्थिति में यदि आवेदन प्रस्तुत किया जाता है अथवा किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने की दशा में यह भ्रम उत्पन्न होता है तो ऐसी मामले उचित आदेश हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किये जायेंगे।
2. संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के अनुपस्थिति की दशा में कमर्शियल एवं इनटरमेडियेट मात्रा का नमूना धारा 52–क सहपठित धारा 76 के अंतर्गत कार्यवाही स्वयं के न्यायालय द्वारा किया जा सकेगा। स्वयं के न्यायालय में प्रस्तुत होने वाले एन.डी.पी.एस. के प्रकरणों को छोड़कर।

आवश्यक निर्देशः–

01. प्रथमतः कार्यविभाजन पत्रक के अंतर्गत उल्लेखित कॉलम नम्बर 4 के अधिकृत मजिस्ट्रेट धारा–164 दं.प्र.सं. के कथन लेखबद्ध करेंगे। धारा–164 दं.प्र.सं. के कथन लिपिबद्ध करने हेतु अधिकृत मजिस्ट्रेट के अवकाश या अनुपस्थिति की दशा में उक्तानुसार प्रभारी मजिस्ट्रेट आपराधिक कार्य प्रभार सूची "अ" अनुसार धारा–164 दं.प्र.सं. के कथन लेखबद्ध करेंगे, परन्तु ऐसे मजिस्ट्रेट जिनके अधिकार क्षेत्र का मामला होने के आधार पर उन्हें जिन मामलों में विचारण किया जाना है, तो सूची "अ" अनुसार उपलब्ध घटते वरीयता क्रम में अन्य प्रभारी मजिस्ट्रेट द्वारा 164 दं.प्र.सं. के कथन लेखबद्ध किये जायेंगे।

02. आवश्यक आपराधिक कार्य से तात्पर्य पुलिस रिमांड अथवा न्यायिक रिमाण्ड कार्य धारा–436 एवं 437 दं.प्र.सं. के तहत जमानत आवेदन पत्र एवं धारा–451, 457 दं.प्र.सं. के अंतर्गत सुपुर्दगी आवेदन पत्र, हाजिरी माफी आवेदन का निराकरण, प्रोसेस पर हस्ताक्षर करना एवं अतिआवश्यक साक्षी जो अत्यधिक दूरी से उपस्थित हुआ हो तथा उसका पुनः सरलता से उपस्थित होना सम्भव न हो तो उसका परीक्षण करना आदि है। आवश्यक कार्य के अंतर्गत संक्षिप्त विचारण प्रक्रिया द्वारा निपटाये जाने वाले आपराधिक प्रकरण सम्मिलित होंगे, जिनमें अभियुक्त दोषसिद्धि का अभिवाक् करता है, तो जो मजिस्ट्रेट संक्षिप्त विचारणीय प्रकरण (समरी) पावर से सशक्त हैं वह ऐसे संक्षिप्त विचारणीय प्रकरणों (समरी) का निराकरण कर सकेंगे तथा ऐसे प्रकरण उन्हीं के न्यायालय में दर्ज होंगे।

03. इस कार्य विभाजन आदेश से किसी भी अधिनियम, नियम अथवा अधिसूचना द्वारा दिया गया क्षेत्राधिकार प्रभावित नहीं होगा।

04. संक्षिप्त विचारण का रिकॉर्ड तैयार करने के लिये दं.प्र.सं. की धारा 265(2) के

उपबंधानुसार जिले में पदस्थ प्रत्येक न्यायिक मजिस्ट्रेट के निष्पादन लिपिक को नियुक्त किया जाता है।

05. जिले में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट अपनी–अपनी सुविधा के अनुसार अपने–अपने दैनिक कार्य को प्रभावित किये बिना, अपने–अपने क्षेत्राधिकार में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को पूर्व लिखित सूचना देकर माह में दो बार चलित न्यायालय लगा सकेंगे।

06. उक्त कार्यविभाजन पत्रक अनुसार यदि किसी मामले के विचारण के संबंध में कोई व्यवस्था न हो तो इस संबंध में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नर्मदापुरम से तत्काल संपर्क करेंगे।

07. समस्त ई–चालान का निराकरण आरक्षी केन्द्र पर क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जायेगा।

08. ऐसे न्यायालय जो वर्तमान में रिक्त है, उन न्यायालय द्वारा जारी किये गये स्थाई वारंट, वर्तमान में उस आरक्षी केन्द्र से संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे और वे ही सुनवाई करेंगे एवं उसके अतिरिक्त उपरोक्त रिक्त न्यायालय से संबंधित समस्त वारंट एवं विविध कार्यवाहियां उन मजिस्ट्रेटों के द्वारा संपादित की जायेगी जिनके न्यायालय में वर्तमान में उस न्यायालय से संबंधित प्रकरण सुनने का क्षेत्राधिकार इस कार्यविभाजन में दिया गया है।

09. प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड के अवकाश पर रहने के दौरान किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों द्वारा कार्य संपादित किया जायेगा तथा उनके अनुपस्थित रहने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को छोड़कर उपस्थित वरिष्ठतम मजिस्ट्रेट द्वारा कार्य संपादित किया जायेगा।

10. **किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015** के अंतर्गत देखरेख और सरंक्षण के जरूरतमंद बालकों तथा विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों से संबंधित सभी मामले किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति द्वारा निराकृत किये जायेंगे।

11. इस आदेश के निर्वहन में किसी प्रकार भ्रम उत्पन्न होने पर मार्गदर्शन हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को संदर्भित किया जावे।

12. नर्मदापुरम नगर सीमा क्षेत्र के अंतर्गत चलित न्यायालय की व्यवस्था मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के निर्देशानुसार संपादित की जावेगी।

13. जिला मुख्यालय पर रिमांड ड्यूटी करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट को उस दिन जिले के समस्त आरक्षी केंद्र क्षेत्रों का अतिरिक्त आवश्यक कार्य संपादित करने का अधिकार क्षेत्र होगा।

14. आकस्मिकता की अवस्था में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा मजिस्ट्रेट की रिमाण्ड ड्यूटी में परिवर्तन किया जा सकेगा।

15. माननीय सत्र न्यायालय द्वारा अथवा माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय के न्यायालय द्वारा विचारण योग्य मामलों के उपार्पण कार्यवाही के दौरान उपार्पण आदेश किये जाते समय अभिलेख के साथ संबंधित मामले की केस डायरी एवं मुद्देमाल भी रिकॉर्ड के साथ भेजना सुनिश्चित किया जावे।

16. विचाराधीन बण्डल फाईल (रिमाण्ड प्रपत्र व सुपुर्दगी प्रपत्र) संबंधित आरक्षी केंद्र पर क्षेत्राधिकार रखने वाले जेएमएफसी के न्यायालय में भेजे जावें।

17. माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के मेमोरेण्डम क्रमांक–1295/सीजे–11/890 जबलपुर दिनांक 18.11.2013 के पालन में चालान प्रस्तुत किये जाते समय मुद्देमाल को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

18. प्रकरण को धारा–325 दं.प्र.स. के अंतर्गत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष भेजे जाने के साथ ही जप्तशुदा संपत्ति भी आवश्यक रूप से भेजी जावे।

19. ग्राम न्यायालयों के न्यायाधिकारी के अवकाश या उपलब्ध नहीं होने की दशा में ग्राम न्यायालय का आवश्यक कार्य आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक में दर्शाये गये प्रभार सूची अनुसार प्रभारी न्यायिक अधिकारी द्वारा संपादित किया जावेगा।

20. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अधिसूचना प्राप्त होने पर तीन दिवसीय श्रृखंला न्यायालय पचमढ़ी में विचाराधीन समस्त पूर्व से लंबित समस्त दांडिक प्रकरण, परिवाद, खात्मा प्रतिवेदन के संबंध में पृथक से आदेश किया जायेगा।

06/04/2014

श्रीमती रीतु वर्मा कटारिया
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नर्मदापुरम, मध्यप्रदेश

अनुमोदनार्थ हेतु प्रेषित।

अनुमोदित।

15.4.14

प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जिला-नर्मदापुरम (म.प्र.)

कार्यालय / न्यायालय :– मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, नर्मदापुरम (म.प्र.)
पीठासीन–श्रीमती रीतु वर्मा कटारिया

कमांक ...../ पृ.क. / 2024 नर्मदापुरम, दिनॉक 04.2024

प्रतिलिपिः–

01. माननीय प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय नर्मदापुरम की ओर सूचनार्ध प्रेषित।
02. माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय एस.सी. / एस.टी. एक्ट / एन.डी.पी.एस. एक्ट नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, नर्मदापुरम / इटारसी / सिवनीमालवा / पिपरिया / सोहागपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
04. लोक अभियोजक / अतिरिक्त लोक अभियोजक नर्मदापुरम / इटारसी / सिवनीमालवा / पिपरिया / सोहागपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
05. पुलिस अधीक्षक, नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
06. जिला अभियोजन अधिकारी / ए.पी.पी. नर्मदापुरम / इटारसी / सिवनीमालवा / पिपरिया / सोहागपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
07. समस्त आरक्षी केंद्र प्रभारी जिला एवं तहसील की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
08. खाद्य निरीक्षक, नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
09. नापतौल निरीक्षक नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
10. औषधि निरीक्षक नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
11. सांख्यिकी लेखक, जिला न्यायालय नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
12. जिला लोक अभियोजक अधिकारी नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
13. जिला आबकारी अधिकारी, नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
14. जिला परिवहन अधिकारी, नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
15. अध्यक्ष अभिभाषक संघ नर्मदापुरम / इटारसी / सिवनीमालवा / पिपरिया / सोहागपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

06/04/2024

श्रीमती रीतु वर्मा कटारिया
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नर्मदापुरम

न्यायालय :– श्रीमती रीतु वर्मा कटारिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला नर्मदापुरम, मध्यप्रदेश

क्रमांक / /मु.न्या.मजि./2024 नर्मदापुरम, दिनांक–06.04.2024

।। विविध–आदेश ।।

मैं, श्रीमती रीतु वर्मा कटारिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नर्मदापुरम, प्रदत्त प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करते हुये नोटरी अधिनियम 1952 एवं नोटरी नियम 1956 के नियम 4(3) के प्रावधानों के अंतर्गत जिला नर्मदापुरम व अंतर्गत तहसील न्यायालय में पदस्थ निम्न न्यायिक मजिस्ट्रेटों को आवेदनों पर अधोहस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत करती हूं–

क्रमांक	जिला मुख्यालय नर्मदापुरम/तहसील	न्यायिक मजिस्ट्रेट
1.	नर्मदापुरम	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नर्मदापुरम **श्रीमती प्रियंका रतोनिया सिंह**
2.	इटारसी	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, इटारसी **श्री यतिन अग्रवाल**
3.	सिवनी मालवा	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सिवनी मालवा **सुश्री सरोज डेहरिया**
4.	पिपरिया	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पिपरिया **श्री अखिलेश चाण्डक**
5.	सोहागपुर	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सोहागपुर **श्री तेजदीप सिंह सासन**

Sd/

(श्रीमती रीतु वर्मा कटारिया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नर्मदापुरम, मध्यप्रदेश

प्रतिलिपिः–

01. माननीय प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, नर्मदापुरम की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।

02. श्रीमती प्रियंका रतोनिया सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नर्मदापुरम, श्री यतिन अग्रवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इटारसी, सुश्री रोज डेहरिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सिवनी मालवा, श्री अखिलेश चाण्डक न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पिपरिया, श्री तेजदीप सिंह सासन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सोहागपुर की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ प्रेषित।

03. अभिभाषक संघ, सचिव/अध्यक्ष नर्मदापुरम/इटारसी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(श्रीमती रीतु वर्मा कटारिया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नर्मदापुरम, मध्यप्रदेश

न्यायालय :– श्रीमती रीतु वर्मा कटारिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला नर्मदापुरम, मध्यप्रदेश

क्रमांक / / मु.न्या.मजि. / 2024 नर्मदापुरम, दिनांक–06.04.2024

।। विविध–आदेश ।।

मैं, श्रीमती रीतु वर्मा कटारिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नर्मदापुरम, प्रदत्त प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करते हुये नोटरी अधिनियम 1952 एवं नोटरी नियम 1956 के नियम 4(3) के प्रावधानों के अंतर्गत जिला नर्मदापुरम व अंतर्गत तहसील न्यायालय में पदस्थ निम्न न्यायिक मजिस्ट्रेटों को आवेदनों पर अधोहस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत करती हूं–

क्रमांक	**जिला मुख्यालय नर्मदापुरम / तहसील**	**न्यायिक मजिस्ट्रेट**
1.	नर्मदापुरम	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नर्मदापुरम **श्रीमती प्रियंका रतोनिया सिंह**
2.	इटारसी	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, इटारसी **श्री यतिन अग्रवाल**
3.	सिवनी मालवा	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सिवनी मालवा **सुश्री सरोज डेहरिया**
4.	पिपरिया	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पिपरिया **श्री अखिलेश चाण्डक**
5.	सोहागपुर	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सोहागपुर **श्री तेजदीप सिंह सासन**

(श्रीमती रीतु वर्मा कटारिया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नर्मदापुरम, मध्यप्रदेश

प्रतिलिपिः–

01. माननीय प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, नर्मदापुरम की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।

02. श्रीमती प्रियंका रतोनिया सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणो नर्मदापुरम, श्री यतिन अग्रवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इटारसी, सुश्री सरोज डेहरिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सिवनी मालवा, श्री अखिलेश चाण्डक न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पिपरिया, श्री तेजदीप सिंह सासन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सोहागपुर की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ प्रेषित।

03. अभिभाषक संघ, सचिव/अध्यक्ष नर्मदापुरम/इटारसी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

06/09/

(श्रीमती रीतु वर्मा कटारिया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नर्मदापुरम, मध्यप्रदेश